

**बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग**

अधिसूचना

सं० सं०-01/स्था०राज०-121/2026-.....

/पटना दिनांक- अगस्त, 2026

बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समुह-ख) में नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (53,100-1,67,800) में (बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) 03 माह के लिए औपबंधिक रूप से ईख पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए गन्ना उद्योग विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	रोल नं०	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1	3	2	5	4	6	7
1	श्री नीरज कुमार झा, पिता-श्री ललित कुमार झा, पता-ग्राम+पोस्ट-माऊबेहट, थाना-मनीगाछी (बाजितपुर), जिला-दरभंगा, पिनकोड-847423	131276	25.02.2001	दरभंगा	401	07

- (i) प्रशिक्षण अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान मुख्यालय से किया जायेगा।
- (ii) नवनियुक्त ईख पदाधिकारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- (iii) नवनियुक्त ईख पदाधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
- (iv) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/ परिपत्रों आदि के आलोक में उनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अच्छादित होगी।
- (v) योगदान के समय दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (vi) नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (vii) वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (viii) योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (ix) प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह०/-

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्थांराज०-121/2026-

/पटना, दिनांक- अगस्त, 2026

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्थांराज०-121/2026-

/पटना, दिनांक- अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- श्री नीरज कुमार झा, पिता-श्री ललित कुमार झा, पता-ग्राम+पोस्ट-माऊंबेहट, थाना- मनीगाछी (बाजितपुर), जिला-दरभंगा, पिनकोड-847423/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-7ए/70वीं सं०(मु०) प्र०प०-01-02-2025(14) लो०से०आ०/गो० पटना दिनांक-20.07.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्थांराज०-121/2026-

/पटना, दिनांक- अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड), फुलवारीशरीफ, पटना/निदेशक, एस0आर0आई0, पूसा, समस्तीपुर/आई.आई.एस.आर. लखनऊ/एन.एस.आई. कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्थांराज०-121/2026-

/पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- मा० मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी ईख पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना शाखा मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों का PRAN No. आवंटित करने एवं HRMS Portal में Onboarding करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के उप सचिव।